न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलडा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 51 / 2024
दायर दिनांक : 05 / 08 / 2024
निर्णय दिनांक : 11 / 11 / 2024

उनवान

1. माधुलाल पिता कन्हैयालाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर
2. डालचन्द पिता कन्हैयालाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर
3. भगवान पिता कन्हैयालाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर
4. सोहनीबाई पत्नी कन्हैयालाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर
5. कंकूबाई पुत्री शंकरलाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर
6. झमकूबाई पुत्री शंकरलाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर
7. लक्ष्मीबाई पुत्री शंकरलाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर

प्रार्थीगण

बनाम

1. चम्पालाल पिता शंकरलाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर
2. बद्रीलाल पिता भैरूलाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर
3. जमना पुत्री भैरूलाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर
4. मोहनीबाई पुत्री भैरूलाल जाट निवासी सूरताखेड़ा मजरा आकोला तह. भूपालसागर
5. गुरूदयाल पिता अमरचंद बंजारा निवासी पारीखेड़ा तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

: निर्णय :

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। अप्रार्थीगण बाद सूचना उपस्थित नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा की जाती है। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार प्रार्थीगण रेकार्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थना पत्र व रेकार्ड के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500– रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि **ग्राम सूरताखेड़ा प.ह. आकोला के खाता सं. 171 की आ.सं. 7845/3535 रकबा 0.16 है., खाता सं. 49 की आ.सं. 1967 रकबा 0.05 है., आ.सं. 3435 रकबा 0.25 है., आ.सं. 3436 रकबा 0.10 है., आ.सं. 3474 रकबा 0.12 है., आ.सं. 3477 रकबा 0.12 है., आ.सं. 3480 रकबा 0.15 है., आ.सं. 3533 रकबा 003 है., खाता सं. 50 की आ.सं. 1974 रकबा 0.78 है., आ.सं. 1975 रकबा 0.10 है., आ.सं. 3431 रकबा 0.29 है., आ.. 3476 रकबा 0.10 है., आ.सं. 3478 रकबा 0.25 है., आ.सं. 3487 रकबा 0.06 है., आ.सं. 3534 रकबा 0. 54 है., आ.सं. 3540 रकबा 0.06 है.** भूमि में उभयपक्ष[illegible] को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्[illegible] अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढी की जावे ए[illegible]मिश्नर शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके [illegible] करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं हो। इ[illegible] आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(पुनीत कुमार गेलडा)
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.20 09:56:38 IST
Reason: SelfAttested